भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

:दूरभाष (0542) 6702068, 2307004 (सं.कु); 6702076, 2307005 (कार्यालय);फैक्स : 91-542-2368428;ई.मेल: administration@itbhu.ac.in

कुलसचिव कार्यालय
(प्रशासन)

Office of the Registrar
(Administration)

पत्र सं. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) / सा.प्रशा. / रा.भा.प्र. / 7(3) / राजभाषा कार्यान्वयन समिति / 200 दिनांकः 23.05.2017

1. समस्त अधिष्ठातागण
2. समस्त विभागाध्यक्ष / स्कूलों के समन्वयक
3. प्रभारी, इकाई / केन्द्र / कार्यालय
4. समस्त आचार्य प्रभारी
5. अध्यक्ष, संस्थान निर्माण समिति
6. अध्यक्ष, कैफेटेरिया
7. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद
8. अध्यक्ष, सीनेट लाइब्रेरी समिति
9. अध्यक्ष, वेब मैनेजमेंट एंड ईमेल सर्विसेज समिति
10. मुख्य काउंसिलर (Chief Councillor), जिमखाना
11. उप मुख्य आरक्षाधिकारी
12. समन्वयक, गांधी प्रौद्योगिकी स्नातक केन्द्र
13. समस्त प्रशासनिक संरक्षक
14. समस्त संयुक्त कुलसचिव
15. उप कुलसचिव
16. समस्त सहायक कुलसचिव
17. समस्त अनुभाग अधिकारी

विषय– राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी करने के संदर्भ में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) रूप में जारी किये जाने अनिवार्य हैं। उक्त अधिनियम के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(उत्तरी क्षेत्र–2), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संस्थान में धारा– 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज **(संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज–पत्र, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनुज्ञा पत्र (परमिट), निविदा सूचनाएं, निविदा फार्म आदि)** द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) में ही जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निदेशक महोदय के आदेशानुसार, मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि आप अपने विभाग / स्कूल / अनुभाग / इकाई में उक्त धारा के अंतर्गत जारी होने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) में ही जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

गणेश
23/05/17

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)–प्रथम

पत्र सं. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) / सा.प्रशा. / रा.भा.प्र. / 7(3) / राजभाषा कार्यान्वयन समिति / दिनांकः 23.05.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक के निजी सचिव
2. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)–प्रथम